

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
बुलन्द भरन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 73-18/2012/20-3

भोपाल, दिनांक

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
ग्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय :- अशासकीय शिक्षण संस्था बैंक ऑफिसर्स पब्लिक न्यायर सेकेण्डरी स्कूल, भोपाल, म0प्र0 को सीबीएसई नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में

0000

राज्य शासन द्वारा तिथ्याकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को कक्षा 01 से 12 तक सीबीएसई से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरात भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पुर शिक्षा के प्रयोग एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था की प्रबंध कार्यालयी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल, (म0प्र0) अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में रामिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में नान्‌नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वी.एस.डावर)
अधूर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पूँको रफ् क्रमांक रफ् 73-18/2012/20-3

भोपाल दिनांक

25/6/12

प्रतिलिपि :-

राजिव अश्वारुद्रीय शिक्षण संस्था गैर ऑफिसर्स मॉनिटर इन्डियन रेफोर्म्युलरी एन्ड भोपाल, मप्र. को सीबीएसई से सम्बद्धता शाखा हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र।
निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- (1) संस्था सीबीएसई के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यनिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
- (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण—पत्र हेतु राज्य शासन को प्रत्युत आवेदन पत्र या शपथ—पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा सच्च शासन द्वारा समय—समय पर दिए गए निर्देशों का सल्लाहन किए जाने पर या प्राप्त शिक्षायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण—पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

- 2— आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, मप्र., ।
- 3— जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भोपाल, मप्र।
- 4— ऑर्डर बुक।

अतर सचिव

पश्चिम प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
25/6/12